34

डी0सी0एल0 / सी0सी0एल0 / बैंकों में जमा धनराशि / पी0एल0ए0

विषय सूची

क्र0 सं0	विषय	शासनादेश सं0 तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	वित्तीय वर्ष के अन्त में समयबद्ध आहरण एवं वितरण तथा सरकारी धन को जमा के रूप में न रखने (No Parking of Fund) के संबंध में	सं0 242 / XXVII(1) / 2007, देहरादून, दिनांक–21 मार्च, 2007	413–414
2	राज्य सरकार के निगमों, उपक्रमों तथा स्वायत्तशासीं संस्थाओं / संस्थानों के सरप्लस फण्ड का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विनियोजन	सं0 297 / XXVII(1) / 2008, देहरादून, दिनांक–07 अप्रैल, 2008	415–416
3	प्रदेश के कोषागारों में डी0सी0एल में रखी धनराशि को पुनर्वैध किया जाना	सं0 113 / XXVII / आ0प्र0(14) / 2008, देहरादून, दिनांक–28 नवम्बर, 2008	417–418
4	सरकारी धन के विभिन्न बैंकों में जमा विषयक सूचना के प्रेषण के संबंध में	सं0 854 / XXVII / आ0प्र0(14) / 2008, देहरादून, दिनांक–08 दिसम्बर, 2008	419–420
5	प्रदेश के कोषागारों में डी0सी0एल0 में वर्ष 2000–01 से 2007–08 तक जमा धनराशि को पुर्नवैध कराया जाना	सं0 13 / XXVII(1) / आ0प्र0(14) / 2008, देहरादून, दिनांक–05 जनवरी, 2009	421–422
6	राज्य सरकार के निगमों, उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं / संस्थानों के सरप्लस फण्ड का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विनियोजन	सं0 145 / XXVII(1) / 2009, देहरादून, दिनांक–19 फरवरी, 2009	423–424
7	प्रदेश के कोषागारों में डी0सी0एल0 में जमा धनराशि को पुनर्वैध कराया जाना	सं0 194 / XXVII / आ0प्र0(14) / 2009, देहरादून, दिनांक–26 फरवरी, 2009	425–426
8	सरकारी धन के विभिन्न बैंकों में जमा विषयक सूचना के प्रेषण के संबंध में	सं0 99 / XXVII / (14) / 2009, देहरादून, दिनांक–03 सितम्बर, 2009	427–428

संख्या– 258/XXVII(1)/2007

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव एवं
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 21 मार्च, 2007

विषय–वित्तीय वर्ष के अन्त में समयबद्ध आहरण एवं वितरण तथा सरकारी धन को जमा के रूप में न रखने (No Parking of Fund) के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या–220/XXVII(1)/2007, दिनांक 15 मार्च, 2007 द्वारा स्पष्ट किया गया था कि पूर्व से स्थापित शासनदेशों के क्रम में शासन स्तर से सभी आवंटन सम्बन्धी आदेश दिनांक 20.03.2007 तक निर्गत कर दिये जायें। आप अवगत हैं कि सरकार राज्य की योजनाओं के पोषण हेतु अधिकतर धनराशि उच्च ब्याज दर पर लेकर सम्बन्धित विभाग की योजनाओं को उपलब्ध करायी जाती है, अतः जब तक परियोजना संरचना पूर्ण एवं परिपक्व न हो जाय उसे स्वीकार न किया जाय ताकि समयवृद्धि (Time over run), मूल्यवृद्धि (Cost over run) की स्थिति न उत्पन्न हो। बजट मैनुअल के प्रस्तर–211 का कड़ाई से पालन किया जाय कि आवश्यक औपचारिकतायें (यथा–भूमि की उपलब्धता आदि) पूर्ण करने एवं कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व 40 प्रतिशत् बजट की उपलब्धता होने पर ही अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

अतः उपरोक्त क्रम में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग सुनिश्चित कर लें कि यदि कहीं ट्रान्जिट में फाइल हो तो उसका हाथों हाथ निस्तारण करा लिया जाय ताकि किसी स्तर पर किसी दशा में आवंटन की पत्रावली 22 मार्च तक शेष न रहे।

यह भी सुनिश्चित किया जाय कि तत्काल आवश्यकता की धनराशि ही आहरित की जाय, किसी भी स्वरूप में Parking of Fund न किया जाय अन्यथा ऐसे प्रकरणों में दायित्व निर्धारण किया जा सकता है।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

------2

संख्या– 242(1)/XXVII(1)/2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, नई दिल्ली।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
9. महाप्रबन्धक(प्रभारी), भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून।
10. सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून।
11. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)

अपर सचिव, वित्त।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-1
संख्या 297 / **XXVII** (1) / 2008
देहरादून : दिनाँक : 07 अप्रैल, 2008

कार्यालय ज्ञाप

विषयः-राज्य सरकार के निगमों, उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं/संस्थानों के सरप्लस फण्ड का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विनियोजन।

राज्य सरकार द्वारा लागू की जाने वाली आर्थिक नीतियों के कियान्वयन, राज्य की योजनाओं को लागू किये जाने तथा बैंकिंग उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंको की महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट भूमिका के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के निगमों, उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं/संस्थानों/निधियों द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के समक्ष प्राप्त धनराशियों तथा स्वयं की धनराशि अथवा सरप्लस फण्ड्स का शतप्रतिशत निवेश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा उनकी Subsdiary बैंकों में ही किया जाए।

2- सरप्लस फण्ड के विनियोजन के सम्बन्ध में उपरोक्त निणय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी प्रकरण विशेष में अपरिहार्य कारणों से उपर्युक्त व्यवस्था का अनुपालन व्यावहारिक न हो तब उक्त प्रतिपादित व्यवस्था से पूर्ण औचित्य सहित विचलन का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जाए। पूंजी निवेश के सम्बन्ध में यदि किसी बिन्दु विशेष पर परामर्श की आवश्यकता हो तो नोडल विभाग के रूप में वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त करके ही अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

3- सम्बन्धित विभाग उपरोक्त निर्णय के अनुसार तत्काल यथोचित निर्देश अपने से सम्बन्धित निगमों, उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं/संस्थानों के लिए निर्गत करना सुनिश्चित करें।

(एस0के0दास)
मुख्य सचिव

संख्या 297 /XXVII (1)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

संख्याः 113 /XXVII/आ0प्र0(14)/2008

प्रेषक,

श्री आलोक कुमार जैन

प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

विषयः प्रदेश के कोषागारों में डी0सी0एल0 में रखी धनराशि को पुर्नवैध किया जाना।

वित्त विभाग देहरादूनः दिनांक 28 नवम्बर 2008

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कोषागारों में सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, आर0ई0एस0, लघु सिंचाई तथा वन विभाग की ही वर्ष 2001 से 2007–08 तक लगभग रू0 963.92 करोड़ की धनराशि डी0सी0एल0 अवशेष पड़ी है। इस धनराशि के उपयोग न हो पाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 14 जुलाई, 2008 तथा 24 अक्टूबर, 2008 को सम्बन्धित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की गयी थी। इन बैठको में विभागों को निदेश दिये गये थे कि अवशेष धनराशि से सम्बन्धित निर्माण कार्यों को चिन्हित कर अवगत कराया जाये परन्तु इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हो पाई है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि एक बड़ी धनराशि अनावश्यक रूप से अवरूद्ध (Blocked) है तथा विभागों द्वारा उसका उपभोग विगत कई वर्षों में भी नहीं किया जा सका है।

यह स्थिति वित्तीय दृष्टि से अत्यन्त आपत्तिजनक है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त विभाग वर्ष 2000–01से 2006–07 तक डी0सी0एल0 में जमा धनराशि का आगे प्रयोग करने से पूर्व पूर्ण औचित्य/कारण देते हुए इसको वित्त विभाग से पुर्नवैध (Revalidate) करवाना सुनिश्चत करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)

प्रमुख सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 निदेशक, कोषागार उत्तराखण्ड।

2 समस्त कोषाधिकारियों को इस निदेशक के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार वर्ष 2006–07 तक डी0सी0एल0 में उपलब्ध धनराशि का भुगतान शासन से पुर्न वैधीकरण (Revalidation) प्राप्त होने पर किया जाय।

3 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, सिंचाई, लघु सिंचाई, प्रमुख वन संरक्षक।

आज्ञा से

(एल0एम0 पंत)

सचिव, वित्त

संख्या– 854/xxvii/आडिट प्रकोष्ठ(14)/2008

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव एवं
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक : 8 दिसम्बर, 2008

विषयः सरकारी धन के विभिन्न बैंकों में जमा विषयक सूचना के प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि सरकार द्वारा राज्य की योजनाओं के पोषण हेतु भारी मात्रा में धनराशि उच्च ब्याज दर पर लेकर सम्बन्धित विभागों को विकास योजनाओं हेतु उपलब्ध करायी जाती है। विभिन्न आडिट रिपोर्टों के माध्यम से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं की एक बड़ी धनराशि बैंको में जमा (park) की जाती रही है। इस सम्बन्ध में विभाग का ध्यान शासनादेश सं0 242/xxxvii(1)/2007 दिनांक 21 मार्च, 2007 की ओर आकर्षित करना है।

कृपया निम्नलिखित प्रारुप पर सूचित करने का कष्ट करें कि आपके विभाग में विभागाध्यक्ष तथा विभाग के अधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं यथा, निगमों/अधिकरणों/परिषदों/समितियों/फण्ड आदि द्वारा विभिन्न योजनाओं की कितनी धनराशि बैंको में रखी गई है। वांछित सूचना विलम्बतम् दिनांक 12 दिसम्बर, 2008 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्र0 सं0	विभागाध्यक्ष/संस्था का नाम	योजना का विवरण (केन्द्र पोषित बाह्य सहायतित, बाह्य पोषित राज्य/जिला योजना आदि)	बैंक का नाम	जमा धनराशि	आहरण का वर्ष

पुनः बल दिया जाता है कि उक्त सूचना समयबद्व रुप से भेजी जाय क्योकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये है।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त

संलग्नक: यथोपरि

संख्या 13 /XXVII(7)/आ0प्र0(14)/2008

प्रेषक,

श्री आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांक05जनवरी 2009

विषयः प्रदेश के कोषागारों में डी0सी0एल0 में वर्ष 2000-01 से 2007-08 तक जमा धनराशि को पुर्नवैध कराया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-113/XXVII/आ0प्र0(14)/2008 के क्रम में कहना है कि प्रदेश के कोषागारों में सिचांई, लोक निर्माण विभाग, आर0ई0एस0, लघु सिचांई तथा वन विभाग की वर्ष 2007-08 की लगभग रू0 200.00 करोड़ की धनराशि डी0सी0एल0 अवशेष पड़ी है। इससे स्पष्ट है कि सम्बन्धित विभागों द्वारा 9माह की अवधि बीत जाने के बाद भी इस धनराशि का उपभोग नही किया जा सका है, तथा एक बड़ी धनराशि अनावश्यक रूप से अवरूद्ध (Blocked) है। यह स्थिति वित्तीय दृष्टि से अत्यन्त आपत्तिजनक है।

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अब समस्त विभाग वर्ष 2000-01से 2007-08 तक डी0सी0एल0 में जमा धनराशि का आगे प्रयोग करने से पूर्व पूर्ण औचित्य/कारण देते हुए इसको वित्त विभाग से पुर्नवैध (Revalidate) करवाना सुनिश्चत करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्याः 13 /XXVII(1)/आ0प्र0(14)/2008 तद्‌दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 निदेशक, कोषागार उत्तराखण्ड।

2 समस्त कोषाधिकारियों को शासनादेश संख्या–113/XXVII/आ0प्र0(14)/2008 के कम मे इस निदेश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार वर्ष 2000–01 से 2007–08 तक डी0सी0एल0 में उपलब्ध धनराशि का भुगतान शासन से पुर्न वैधीकरण (Revalidation) प्राप्त होने पर किया जाय।

3 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, सिंचाई, लघु सिंचाई, प्रमुख वन संरक्षक।

आज्ञा से

5/11/2009

(एल0एम0 पंत)
सचिव, वित्त

संख्या 145/XXVII(1)/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून दिनांकः 19 फरवरी 2009

विषयः राज्य सरकार के निगमों, उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं/संस्थानों के सरप्लस फण्ड का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विनियोजन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 297/XXVII(1)/ 2009 दिनाक 7–4–2008 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें राज्य सरकार के निगनों, उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं/संस्थानों /निधियों द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के समक्ष प्राप्त धनराशियों तथा स्वयं की धनराशि अथवा सरप्लस फण्ड का शत प्रतिशत निवेश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा उनकी सब्सिडियरी बैंकों में किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इस क्रम में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैकों द्वारा ही पोषित होते हैं तथा राज्य सरकार का भी इसमें सह स्वामित्व है, अतः सरकारी प्रतिष्ठानो से संबंधित जमा एवं निवेश की सुविधा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यथा उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक तथा नैनताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में रखा जाये।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को भी बैंकिंग सेवा एवं निवेश हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समतुल्य रखा जाये।

भवदीय,
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या /XXVII(1)/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1: समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
2: संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड भारतीय स्टेट बैंक आंचलिक कार्यालय 1–न्यू कैंट रोड देहरादून।
3: प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/निदेशक, राज्य सरकार के निगम/प्रतिष्ठान उत्तराखण्ड।
4: महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा से,
(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

संख्या: १९५/XXVII/आ0प्र0(14)/2009

प्रेषक,

श्री आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त आडिट प्रकोष्ठ   देहरादून: दिनांक:26 फरवरी,2009

विषय: प्रदेश के कोषागारों में डी0सी0एल0 में जमा धनराशि को पुनर्वैध कराया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–191/XXVII/आ0प्र0(14)/2009 दिनांक 12 फरवरी,2009, 113/XXVII/आ0प्र0(14)/2009 दिनांक 28 नवम्बर,2008 तथा 13/XXVII/आ0प्र0 (14)/2009 दिनांक 5 जनवरी, 2009 के क्रम में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि सिचांई, लोक निर्माण विभाग, आर0ई0एस0, लघु सिचांई तथा वन विभाग की, ऐसी योजनाओं (जिनकी धनराशि डी0सी0एल0 लेखे में जमा है) जिनमें 25 प्रतिशत तक कार्य हो गया है, के लिये संबन्धित जिलाधिकारी को कोषागारों के विभागीय डी0सी0एल0 लेखों को पुनर्वैध (Revalidate) करने हेतु अधिकार प्रतिनिधायन किया जाता हैं। जिलाधिकारी डी0सी0एल0 लेखे का पुनर्वैधिकरण (Revalidate) करने से पूर्व कार्य में विलम्ब होने के कारणों से तथा आगे कार्य पूर्ण होने कि सम्भावित तिथि से सन्तुष्ट हो लें तथा कृत कार्यवाही से वित्त विभाग को भी अवगत करायें। जिन योजनाओं में 25 प्रतिशत तक कार्य नहीं हुआ है, उनके लिये डी0सी0एल0 में रखी धनराशि के उपभोग के लिये वित्त विभाग से पुनर्वैध (Revalidate) कराने की पूर्ववत आवश्यकता होगी।

अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या: १९५/XXVII/आ0प्र0(14)/2008 तददिनांकित 26.2.09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. आयुक्त गढ़वाल, कुमाऊँ मण्डल उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिलाधिकारी।
3. निदेशक, कोषागार उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त कोषाधिकारियों को तदनुसार सूचित करना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, सिंचाई, लघु सिंचाई, प्रमुख वन संरक्षक।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,
26/2/2009

(एल0एम0 पंत)
सचिव, वित्त

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

पत्र संख्या-९१ / xxvii (14) / 2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव एवं
समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त आडिट प्रकोष्ठ — देहरादूनः दिनांकः 3 सितम्बर, 2009

<u>विषयः सरकारी धन के विभिन्न बैंकों में जमा विषयक सूचना के प्रेषण के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

आप अवगत है कि सरकार द्वारा राज्य की योजनाओं के पोषण हेतु भारी मात्रा में धनराशि उच्च ब्याज दर पर लेकर सम्बन्धित विभागों को विकास योजनाओ हेतु उपलब्ध करायी जाती है। विभिन्न आडिट रिपोर्टों के माध्यम से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं की एक बड़ी धनराशि बैंकों में जमा (Park) की जाती रही है। यह प्रकिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 (2) के अधीन श्री राज्यपाल द्वारा बनाये गये कोषागार नियम–9 तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग– 1 के प्रस्तर–21 व 22–बी के विपरीत है। इस सम्बन्ध में विभाग का ध्यान शासनादेश संख्या–: 875 / वित्त अनुभाग–3 / 2003–04 दिनांकः 30 अप्रैल 2003 तथा संख्या– 242 / xxvii(1) / 2007 दिनांक 21 मार्च, 2007 की ओर आकर्षित करना है जिसमें निम्नानुसार व्यवस्था दी गई हैः–

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि सरकारी प्रतिष्ठानों, परिषदों, निकायों आदि में समेकित निधि से आहरित धनराशियों को तत्काल सम्बन्धित योजना में उपभोग करने के बजाय विभिन्न बैंकों अथवा सावधि जमा (फिक्स डिपोजिट) के रूप में रखा गया है। शासन द्वारा यह भी स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि, यदि किसी विशिष्ट कारणों के कारण समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपभोग न किया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो, तब इस प्रकार अर्जित धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक 0049– ब्याज प्राप्तियाँ – 04– राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियों, 800–अन्य प्राप्तियाँ, 12– अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा किया जाय।

राज्य की अर्थोपाय स्थिति में संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि समेंकित निधि से आहरण तब किया जाये जब धनराशि के व्यय की तत्काल आवश्यकता हो, के सिद्धान्त पर सभी सरकारी प्रतिष्ठानों, निकायों, परियोजनाओं, परिषदों आदि के अधिकारी सुसंगत लेखाशीर्शक के अधीन कोषागार में वैयक्तिक खाता (पी0एल0ए0) यदि पूर्व में न खुला हो, खुलवाना सुनिश्चित करें तथा समेंकित निधि से आहरित वे सभी धनराशियां, जो बैंक में रखी गयी हों अथवा सावधि (फिक्स डिपोजिट) जमा में रखी गयी है, को तत्काल कोषागार के

विभागीय पी0एल0ए0 में जमा कर दिया जाये। पी0एल0ए0 से तत्काल आवश्यकता की धनराशि ही आहरित की जाये एवं बैंक में ऐसी धनराशियां सामान्य जमा या सावधि जमा में न की जायें।

सरकारी विभागों के कार्यों हेतु बैंक में खाता खोलने का कोई प्राविधान नहीं है, जब तक शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य/ अवधि हेतु अनुमति प्रदान न की गयी हो। अतः यदि कोई अनधिकृत बैंक खाता खोला गया हो उसे तत्काल बन्द किया जाये एवं खाते में अवशेष धनराशि विभागीय पी0एल0ए0 में तथा उस पर अर्जित ब्याज सुसंगत लेखाशीर्षक में तत्काल जमा कर दिया जाये।

जब तक परियोजना संरचना पूर्ण एवं परिपक्व न हो जाये उसे स्वीकार न किया जाये ताकि समयवृद्धि (Time over run), मूल्यवृद्धि (Cost over run) की स्थिति न उत्पन्न हो। बजट मैनुअल के प्रस्तर–211 का कड़ाई से पालन किया जाय कि आवश्यक औपचारिकतायें (यथा–भूमि की उपलब्धता होने आदि) पूर्ण करने एवं कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व 40 प्रतिशत बजट की उपलब्धता होने पर ही अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

उपलब्ध सूचनानुसार विभागों द्वारा उपरोक्त आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त के क्रम में कृपया निम्नलिखित प्रारूप पर सूचित करने का कष्ट करें कि **दिनांक: 31 जुलाई, 2009** को आपके विभाग में विभागाध्यक्ष तथा विभाग के अधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं यथा, निगमों/अधिकरणों/परिषदों /समितियों/फण्ड आदि द्वारा विभिन्न योजनाओं की कितनी धनराशि बैंकों में रखी गई है? वांछित सूचना विलम्बतम् दिनांक 15 सितम्बर, 2009 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क.स.	विभागाध्यक्ष/ संस्था का नाम	योजना का विवरण (केन्द्र पोषित, बाह्य सहायतित, बाह्य पोषित राज्य/जिला योजना आदि	बैंक का नाम	जमा धनराशि	आहरण का वर्ष

उक्त सूचना समयबद्ध रूप से भेजी जाय क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये है।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव/ वित्त।

<u>पत्र संख्या– ९१/XXvii (14)/2009 तददिनांकित।</u>
<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. समस्त अपर सचिव, वित्त व्यय नियंत्रण, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।